



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, छावरा
जिला-बारां

* जाति प्रमाण-पत्र *



फ्रॉमाफ़ : RJ31/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/7169
07-2015

दिनांक 18-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार जाटव पुत्र मांगीलाल गांव/नगर कड़ेयाबन जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में जाटव (17) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित समियोग (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई उन्नति अधिनियम 1960, संवाद उत्तरांचल अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप क्षेत्र (प्रशासन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जन्मूल क्रमस्त्री) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (प्रणालीवाल द्वारा समझौते) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादारा तथा चापार हुवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादारा तथा चापार हुवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पांडुरेठी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी राजेन्द्र कुमार जाटव गांव/नगर कड़ेयाबन जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसंचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू/ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में फोर्म विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खालिक किया जा सकेगा।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बद्धित दस्तावेजात जिले के सम्बद्धित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, छावरा

Signature valid

Digital signature by
SATYANARAYAN
BARWAL
Date: 10-07-2017
Reason: SCM
Location: Rajasthan

11343617



1531048210062457